शीर्ष प्राथमिकता

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

अर्द्धशा0प0सं0आर.जी.–737 / दस–2013–27 / 2013
वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ : दिनांक :30 जुलाई, 2014

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि विभागों में अनुपयोगी स्टाफ हो रहे व्यय के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट में दी गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 22–07–2014 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा गोपन अनुभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2– आप अवगत हैं कि उक्त प्रस्ताव में आपके विभाग के स्तर पर कतिपय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर कृत कार्यवाही अथवा कार्यवाही की रूप–रेखा से वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि गोपन अनुभाग को सूचित किया जा सके।

<u>संलग्नकः– मा0 मंत्रि–परिषद की अनुमोदित टिप्पणी।</u>

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,वित्त।

श्री संजीव कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

"गोपनीय"

मा0 मंत्रिपरिषद के लिये टिप्पणी

विषयः विभागों में अनुपयोगी स्टाफ पर हो रहे व्यय के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट में दी गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रदेश के कतिपय विभागों में कार्यरत अनुपयोगी स्टाफ की जानकारी होने पर मुख्य सचिव द्वारा उक्त स्टाफ पर हो रहे व्यय के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाने हेतु पांच सदस्यीय समिति का गठन दिनांक 02–05–2013 को किया गया। समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य निम्नवत् हैंः–

1. श्री मुकेश मित्तल	सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2. श्री एस0पी0 गोयल	सचिव, सिंचाई	सदस्य
3. श्री हिमांशु कुमार	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
4. श्रीमती नीलम अहलावत	विशेष सचिव, नियोजन	सदस्य
5. श्री एस0पी0 सिंह	विशेष कार्याधिकारी, कार्मिक	सदस्य

कालान्तर में श्री एस0पी0 गोयल सचिव, कार्यक्रम कियान्वयन तथा श्री हिमांशु कुमार सचिव, वित्त के पद पर रहते हुये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। श्रीमती नीलम अहलावत के अन्य विभाग में स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री हरीश चन्द्र मित्रा, संयुक्त सचिव, नियोजन द्वारा नियोजन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया गया।

2– समिति द्वारा विभागों से अनुपयोगी स्टाफ के पद, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे, कार्यरत कर्मचरियों की श्रेणी तथा संख्या की सूचना एकत्र की गयी जिसके आधार पर समिति द्वारा विचारोपरान्त अपनी रिपोर्ट में चार संस्तुतियां की गयीं।

3– समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 14–03–2014 एवं 25–04–2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें समिति की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित की गईः–

<u>संस्तुति संख्या–1</u>

"ऐसे अनुपयोगी पद जो रिक्त हैं उन्हें तत्काल समाप्त किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा की जाय।"

अपेक्षित कार्यवाहीः– प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रदेश के समस्त विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 10 विभागों से 4797 अनुपयोगी पदों की सूचना प्राप्त हुयी है जिसमें से 3479 पदों पर

कर्मचारी कार्यरत हैं तथा शेष 1318 पद रिक्त हैं। समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार प्रस्तावित है कि रिक्त अनुपयोगी पदों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन लेकर तत्काल समाप्त किया जाय।

संस्तुति संख्या–2

"ऐसे अनुपयोगी पद जहॉ कर्मचारी कार्यरत हैं की पूर्ण सूचना नियोजन विभाग को विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाय। अन्य विभाग अपने यहॉ रिक्त पद को भरे जाने हेतु नियोजन विभाग से सूची प्राप्त करें तथा कर्मचारियों की योग्यता आदि के आधार पर चयन कर अपने विभाग में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्यरत करें। ऐसे कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या अन्यथा कारण से पद रिक्त होने पर पद को तत्काल समाप्त कर दिया जाय।"

अपेक्षित कार्यवाहीः– कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22–09–2008 द्वारा सरप्लस स्टाफ की सूचना को सूचीबद्ध किये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत 'सरप्लस स्टाफ पूल' का गठन किया गया है (संलग्नक–1) जिसके दृष्टिगत समिति ने सुझाव दिया है कि नियोजन विभाग द्वारा ही अनुपयोगी पद से सम्बन्धित सूचना का विवरण रखा जाय। जिन विभागों में भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है वह सर्वप्रथम नियोजन विभाग से सरप्लस स्टाफ की सूची प्राप्त कर लें तथा यदि उन्हें योग्य अभ्यर्थी मिल जाये तो सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अपने विभाग में उस कर्मी को कार्यरत करायें। उक्त कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या सेवा स्थानान्तरण वाले विभाग में संविलियन होने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर, पैतृक विभाग पद को समाप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा किये जाने से किसी भी स्थिति में कर्मचारी की सेवा में उसे मिलने वाले अपेक्षित लाभ की हानि नहीं होगी। साथ ही रिपोर्ट में रिक्त अनुपयोगी पद जिनकी सूची उपलब्ध करायी गयी है उनको भरे जाने की कोई भी कार्यवाही अब सम्बन्धित विभाग द्वारा नहीं की जायेगी। यदि आवश्यकता हो तो संवर्ग को "डैड कैडर" घोषित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

संस्तुति संख्या–3

"किसी विभाग में भविष्य में यदि कोई पद अनुपयोगी होता है तो इस सम्बन्ध में संस्तुति संख्या–1 एवं संस्तुति संख्या–2 के समान ही विभागों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।"

अपेक्षित कार्यवाहीः यदि भविष्य में कोई पद अनुपयोगी होता है तो नियोजन विभाग ही उसका पूरा ब्यौरा रखेंगे। यदि उस पद पर कर्मचारी कार्यरत नहीं है तो संस्तुति संख्या–1

के अनुसार तथा यदि उस पद पर कर्मचारी कार्यरत है तो संस्तुति संख्या–2 में दी गयी व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

संस्तुति संख्या–4

"समिति के समक्ष सबसे जटिल मुद्दा समायोजन की स्थिति में वरिष्ठता निर्धारित किया जाना था। समिति द्वारा महसूस किया गया कि समायोजन की स्थिति में वरिष्ठता के कारण अनेको मुकदमों आदि जैसी जटिल समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समस्त पहलुओं पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा संस्तुति की जाती है कि अनुपयोगी पद पर कार्यरत कर्मियों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अन्य विभागों में आवश्यकतानुसार कार्यरत किया जाय तथा उनका लियन मूल विभाग में यथावत् बनाये रखा जाए जिससे सम्बन्धित संवर्ग में उक्त कर्मी की वरिष्ठता यथावत् बनी रहेंगी और वरिष्ठता का विवाद उत्पन्न नहीं होगा।"

अपेक्षित कार्यवाहीः समिति द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के इस बिन्दु पर कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया जो निम्नानुसार हैः–

"चूंकि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में ही सेवा–स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती की कार्यवाही की जाती है, अतः दोनों ही विभागों के सरकारी होने के कारण सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती किये जाने पर कोई सेवा शर्तें निर्गत नहीं की जाती हैं क्योंकि दोनों ही विभागों की सेवा सम्बन्धी सामान्य शर्तें समान होती हैं। सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती किये जाने पर संबंधित सरकारी सेवक का धारणाधिकार पैतृक विभाग में बना रहता है। जहां तक समायोजन की स्थिति में ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का प्रश्न है, कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 25–09–1968 (संलग्नक–2) के प्रस्तर–2 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि ज्येष्ठता निर्धारण के लिये पूर्व विभाग में की गयी सेवा का लाभ नये विभाग में प्राप्त नहीं होगा। उक्त प्राविधान इस आशय से रखे गये हैं कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आधार पर लिया जाता है तथा समायोजन/संविलियन मौलिक नियुक्ति की श्रेणी में आता है। जहां तक संविलियन के उपरान्त पूर्व विभाग में धारणाधिकार बनाये रखने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मूल नियम 12–क में यह प्राविधानित है कि किसी सरकारी कर्मचारी के किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर उस पद का धारणाधिकार प्राप्त हो जाता है और दूसरे पद पर उसका पहले से प्राप्त किया हुआ धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। इसका आशय यह है कि यदि कोई सरकारी सेवक अपने पैतृक विभाग के पद पर स्थायी है, तो किसी अन्य

पद/विभाग में संविलियन होने पर भी उसका धारणाधिकार पूर्व पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक वर्तमान पद पर उसे स्थायी नहीं कर दिया जाता।"

कार्मिक विभाग के उक्त अभिमत के आलोक में स्पष्ट है कि सेवा स्थानान्तरण के आधार पर दूसरे विभाग में तैनात किये जाने पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार पैतृक विभाग में बना रहेगा और कर्मचारी की वरिष्ठता पैतृक विभाग में पूर्व की भॉति बनी रहेगी। कार्मिक विभाग का मत है कि अनुपयोगी घोषित किये गये किसी सरप्लस कार्मिक को यदि किसी नवीन विभाग में समायोजित किया जाता है, तो जिस संवर्ग/पद पर उसे समायोजित किया जायेगा, उस संवर्ग/पद पर पूर्व से नियमित रूप से कार्यरत् कार्मिकों से नीचे ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

4— उक्त के अतिरिक्त बैठक में अनुपयोगी स्टाफ को लगातार चिन्हित किये जाने एवं समिति की संस्तुति के अनुसार उन पर सतत् कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध मे कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22—09—2008 द्वारा नियोजन विभाग के अधीन गठित प्रकोष्ठ "सरप्लस स्टाफ पूल" को और अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। तद्हेतु उक्त शासनादेश में संशोधन वांछित है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित समिति के स्थान पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी तथा यह समिति मुख्य रूप से अनुपयोगी स्टाफ को समायोजित किये जाने की प्रकिया तथा अनुपयोगी पदों को समाप्त किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा करेगी। बैठक का संयोजन नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। अनुपयोगी स्टाफ के चिन्हांकन की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग नियमानुसार एक निश्चित अन्तराल पर सतत् रूप से करेंगे तथा नियोजन विभाग सभी प्रशासनिक विभागों से अनुपयोगी स्टाफ की सूचना निर्धारित अवधि में एकत्र करेंगे।

5— अनुपयोगी स्टाफ की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नियोजन विभाग एक प्रपत्र तैयार करेंगे जिसमें कर्मचारी का नाम, पद, आयु, पता, अर्हता, आदि से सम्बन्धित सभी विवरण का ब्यौरा होगा। नियोजन विभाग द्वारा इसी प्रपत्र पर अनुपयोगी स्टाफ की सूचना प्रशासनिक विभागों से प्राप्त की जायेगी। नियोजन विभाग सरप्लस स्टाफ का आनलाइन डाटा तैयार करेंगे जिसमें पूल में उपलब्ध सभी कर्मचारियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा। इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी होगी कि सभी विभाग, सर्वप्रथम नियोजन विभाग को अपने

यहाँ रिक्त पद को भरे जाने के लिये पूर्ण सूचना सहित प्रपत्र भेजेंगे जिसके उपरान्त नियोजन विभाग के अधीन गठित प्रकोष्ठ द्वारा उक्त पद की प्रास्थिति के अनुसार अर्ह कर्मचारियों की एक सूची बनाकर विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी और वांछित स्टाफ उपलब्ध न होने पर अपनी अनापत्ति दी जायेगी। विभाग उस सूची में से पात्र कर्मी को चयनित करेंगे। कोई भी पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने की स्थिति में विभाग नियोजन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही उस पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। इस हेतु एक नियमावली कार्मिक विभाग द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है जो सभी नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव रखेगी। चूँकि नियमावली बनने में समय लगने की सम्भावना है, अतः नियमावली के अनुमोदन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उक्तानुसार शासनादेश/नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त भविष्य में वांछित संशोधन हेतु भी मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

6— न्याय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

7— कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है

8— नियोजन विभाग द्वारा अपनी आख्या में प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी है।

9— इस सम्बन्ध में अन्य विभागों का अभिमत निम्नवत् है :—

(क) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उच्च शिक्षा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, कार्मिक, कार्यक्रम कार्यान्वयन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ग्राम्य विकास, नियुक्ति, पशुधन, प्रशासनिक सुधार, पिछड़ा वर्ग कल्याण, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, रेशम विकास, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, लोक निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, विकलांग कल्याण, वाह्य सहायतित परियोजना, वन, सामान्य प्रशासन, समग्र ग्राम विकास, निबन्धन, वन, खादी एवं ग्रामोद्योग, धमार्थ कार्य, श्रम विभाग एवं चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी है।

(ख) वाणिज्यिक कर/मनोरंजन कर विभाग द्वारा मा0 मंत्रि—परिषद की टिप्पणी पृष्ठ—2 की संस्तुति संख्या—2 एवं पृष्ठ—5 के प्रस्तर—5 के प्राविधान से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का कथन है कि उक्त दोनों बिन्दुओं में अनुपयोगी स्टाफ की सूचना विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है जो एक सामान्य प्रकिया

है। सभी विभागों द्वारा इस सूचना को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विभाग स्वंय अनुपयोगी पद की घोषणा करेंगे, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही भी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ही की जायेगी। ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर/मनोरंजन कर की आपत्ति औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है।

(ग) मुख्य सचिव की बैठक दिनांक 25–04–2014 को निर्णित हुआ था कि प्रदेश के सभी विभागों को 15 दिन का समय देकर मा0 मंत्रि–परिषद की टिप्पणी पर उनका अभिमत प्राप्त कर लिया जाय तथा विभाग से सूचना प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि विभाग प्रस्ताव से सहमत हैं जिस पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया। इसके उपरान्त प्रदेश के सभी विभागों से मा0 मंत्रि–परिषद के लिए टिप्पणी पर अभिमत हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी थी। प्रस्तर 6, 7, 8, 9(क) एवं 9(ख) में वर्णित विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मुख्य सचिव की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, उन सभी विभागों जिनका अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, की प्रस्तावं पर सहमति मानी जाती है।

10– विभागों में अनुपयोगी स्टाफ पर हो रहे व्यय के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों एवं मुख्य सचिव की बैठक दिनांक 14–03–2014 एवं 25–04–2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर–3, प्रस्तर–4 एवं प्रस्तर–5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

11– इस टिप्पणी को मा0 वित्त मंत्री जी के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवलोकित कर लिया गया है।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

पत्रावली संख्या–27/13
वित्त संसाधन (सामान्य)अनुभाग
दिनांक : जुलाई, 2014